जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	विन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	आपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	जिला स्तर जिला कमाण्डेण्ट की देखरेख में एस0पी0/एस0एस0पी0 की माँग के अनुसार जिलाधिकारी, कमिश्नर एंव कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, लखनऊ की स्वीकृति उपरान्त होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को प्रतिस्थापित किया जाता है तथा होमगार्ड्स संगठन एक स्वयं सेवी संगठन के रूप में होमगार्ड्स स्वयं सेवक पुलिस बल के सहायक के रूप में सार्वजनिक/आन्तरिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करता है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	जिला स्तर जिला कमाण्डेण्ट की देखरेख में एस0पी0/एस0एस0पी0 की माँग के अनुसार जिलाधिकारी, कमिश्नर एंव कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ की स्वीकृति उपरान्त होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को प्रतिस्थापित किया जाता है कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रमशः निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। जिला कमाण्डेण्ट, जिला कमाण्डेण्ट के सहायक, वैत0 प्ला0 कमा0 ब्लॉक आर्गनाईजर, वरिष्ठ लिपिक, क0लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन/होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/निरीक्षा/प्रवेक्षण किया जाता है। कार्यालय जिला परिषद भवन बिजनौर में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है, जिसके नियन्त्रण में जिला स्तर के अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	संस्था द्वारा जिला कमाण्डेण्ट, जिला कमाण्डेण्ट के सहायक, वैत0पी0सी0, बी0ओ0, व0लिपिक, क0 लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा शासन/हो0गा0 मुख्यालय एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन/हो0गा0 मु0 द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	इस संस्था का जनप्रतिनिधि से कोई सम्बन्ध नही है तथा कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्डस एवं मण्डलीय कमान्डेन्ट होमगार्डस के निर्देशन पर जिला कमाण्डेण्ट द्वारा विभागीय कार्यों को सम्पादित किया जाता है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डो परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	कमाण्डेन्ट जनरल हो0गा0 मण्डलीय कमाण्डेन्ट हो0गा0 ,मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं एस0पी0 आदि के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला कमाण्डेण्ट द्वारा हो0गा0 संगठन के समस्त कार्यो को सम्पादित किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक, त्रैमासिक एवं छमाही आकड़े डिवीजनल कमाण्डेन्ट मुरादाबाद एवं हो0गा0मु0, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	जिला स्तर पर वित्त नियन्त्रक हो0गा0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा बजट आवंटित किया जाता है, जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	जिला कार्यालय में किसी प्रकार से कोई वित्तीय सुविधा दिये जाने का प्राविधान नही है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	जिला स्तर पर विभाग में कोई किसी प्रकार की परमिट दिये जाने उसके सम्बन्धित कार्यवाही नहीं की जाती है।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	जिला कमाण्डेण्ट कार्यालय में कम्पप्यूटर की कोई व्यवस्था नही है सभी मासिक जमा, धनराशियों एवं सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर हो0गा0 मुख्यालय लखनऊ को भेजी जाती है।

15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	जिला स्तर पर जिला कार्यालय स्थित है। जिला कार्यालय पर होमगार्डस के सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित किया जाता है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी, श्री प्रियव्रत सिहं, जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस बिजनौर।

जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस
बिजनौर।